"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 मई 2016 — वैशाख 20, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2016

क्रमांक 4629/डी. 155/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 02-05-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 23 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 57-क का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57-क की उप-धारा (1) में, शब्द "परन्तु सम्पूर्ण कालावधि कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी" का लोप किया जाये.

रायपुर, दिनांक 10 मई 2016

क्रमांक 4629/डी. 155/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 23 of 2016)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 57-A.

2. In sub-section (1) of Section 57-A of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the words "provided that the total period shall not exceed five years in the aggregate" shall be omitted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.